



श्रीमति जिहादा (राय कुमारी)  
हाल हाज दिवाली १०३०

प्रस्तुत

R 189-#17

कानूनी दस्तावेज़ दोस्तावेज़  
कानूनी दस्तावेज़ दोस्तावेज़

## व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -दो/२०१७ निगरानी

- (1) वृजभान पुत्र हरवान लोधी
- (2) अवधरानी पत्नि राजधर लोधी
- (3) सुखवती पत्नि रट्टी लोधी

तीनों निवासी ग्राम बाचरोन

तहसील पिछोर जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश

—आवेदकगण

### विरुद्ध

- 1- म०प्र०शासन व्यायामिक विभाग, शिवपुरी
- 2- तहसीलदार तहसील करैरा जिला शिवपुरी

—आवेदकगण

( निगरानी अंतर्गत धारा धारा 50 सहपठित धारा 8, मध्य प्रदेश भू-  
राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत - आवेदकगण के स्वत्व की भूमि  
को पटवारी द्वारा शासकीय अभिलेख से विलोपित कर शासकीय दर्ज  
कर देने एवं तहसीलदार तहसील करैरा जिला शिवपुरी द्वारा अमल  
को दुरुस्त करने से इंकार करने के विरुद्ध )

1/14

कृ०पृ०उ०-२

xxxix(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ज्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....  
निगरानी प्रकरण क्रमांक 189-दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह																
20.1.17	<p>यह निगरानी आवेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि को शासकीय अभिलेख से नाम विलोपित कर देने एंव तहसीलदार पिछोर व्हारा अमल सुधार की दुरुस्ती का आवेदन देने पर मना करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित 8 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारोऽश यह है कि आवेदकगण के नाम ग्राम बाचरोन में भूमि सर्वे क्रमांक 771 रकबा 1.62 हैक्टर में उनके नाम पर निम्नांकित अनुसार भूमि शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है :-</p> <table> <thead> <tr> <th>क.</th> <th>नाम कास्तकार</th> <th>सर्वे नंबर</th> <th>रकबा हैक्टर में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td> <td>वृजभान पुत्र हरवान लोधी</td> <td>771</td> <td>1.025</td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>अवधरानी पत्ति राजधर लोधी</td> <td>उक्त में समान भाग</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-</td> <td>सुखवती पत्ति रट्टी लोधी</td> <td>उक्त में समान भाग</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>भूमि सर्वे क्रमांक 771 दुकड़ा का बंदोवस्त के बाद नया सर्वे नंबर 2843 रकबा 1.62 हैक्टर बना, जिसमें से रकबा 1.025 हैक्टर के भूमिस्वामी आवेदकगण क्रमांक 1 से 3 हैं जो मौके पर काविज होकर खेती करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। आवेदक क्रमांक 1 वृजभान सिंचाई हेतु दृश्यव वैल लगाने के लिये ऋण लेने बैंक गया एंव बैंकर्स ने नये खसरे की नकल माँगी, तब पठवारी से संपर्क करने पर बताया गया कि भूमि सरकारी लिखी जा चुकी है, तब सभी ने मिलकर खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाकर तहसीलदार पिछोर को दुरुस्ती आवेदन दिया एंव तहसीलदार ने उन्हें आवेदन वापिस नहीं किया तथा कार्यवाही करने</p>	क.	नाम कास्तकार	सर्वे नंबर	रकबा हैक्टर में	1-	वृजभान पुत्र हरवान लोधी	771	1.025	2-	अवधरानी पत्ति राजधर लोधी	उक्त में समान भाग		3-	सुखवती पत्ति रट्टी लोधी	उक्त में समान भाग		
क.	नाम कास्तकार	सर्वे नंबर	रकबा हैक्टर में															
1-	वृजभान पुत्र हरवान लोधी	771	1.025															
2-	अवधरानी पत्ति राजधर लोधी	उक्त में समान भाग																
3-	सुखवती पत्ति रट्टी लोधी	उक्त में समान भाग																

निगरानी प्र०क० १८९-दो/२०१७

से मुहूँ जवानी मना कर दिया, जिसके कारण यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत खसरा पंचशाला सन् १९८६-८७ लगायत १९८९-९० की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम बाचरोन तहसील पिछोर की भूमि सर्वे नंबर ७७१ का संपूर्ण रकबा ४ वीघा ११ विसवा हैकटर है जिसमें से आवेदकगण १.०२५ हैकटर रकबा के भूमिस्वामी खसरे के कालम नंबर ३ में इस प्रकार प्रविष्ट दर्ज है -

- 1- वृजभान पुत्र हरवान लोधी
- 2- अवधरानी पत्नि राजधर लोधी
- 3- सुखवती पत्नि रट्टी लोधी

खसरा प्रविष्टि अनुसार आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के वर्ष १९८६-८७ लगायत १९८९-९० तक निरन्तर भूमिस्वामी हैं। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि हलका पटवारी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नवीन खसरा बनाते समय भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि में छेङ-छाङ करने अथवा नाम विलोपित करने की अधिकारिता नहीं है। विचार योग्य है कि जब सन् १९८६-८७ लगायत १९८९-९० तक के मूल खसरे तहसील में अथवा जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध रहे हैं, तहसीलदार द्वारा मूल खसरा मेंगाकर देखने का प्रयास नहीं किया है और आवेदकगण द्वारा खसरा सुधार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही संज्ञान में न लेने में भूल की गई है।

*JKC*

xxxix(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 189-दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हर
	<p>5/ तहसील न्यायालय से आवेदक को जारी की गई खसरा पैचशाला सन् 1986-87 लगायत 1989-90 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है इन अभिलेखों की अनदेखी करते हुये आवेदकगण व्यारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन के बारे तहसीलदार पिछोर की मना करने पर क्या शोच रही है अनुमान लगाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि शासकीय दर्ज बनाये रखना नियमानुकूल कार्यवाही नहीं माना जा सकता है।</p> <p>7/ खसरा पैचशाला सन् 1986-87 लगायत 1989-90 की प्रमाणित प्रतिलिपियों तहसील कैरैरा से आवेदकगण को प्रदान की गई हैं। म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :-</p> <p>“ धारा 117 - भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा - भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ”</p> <p>गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा०नि० 61 में न्यायमूर्ति श्री आर०पी०गुप्ता (हा०को०) ने व्यर्वस्था दी है कि (यद्यपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो</p>	

M

P  
JK

- 5 -

निगरानी प्र०क० १८९-दो/२०१७

उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा)।

गनी खान वि. अपना वाई १८८३ एम०पी०एल०जे० ३०४ = १९८३ रा.नि. २१३ में भान. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी)।

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव प्रस्तुत अभिलेख का शासन के पैनल लायर खण्डन भी नहीं कर सके हैं। शासकीय अभिलेख अद्वतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का है। गणेशी लाल जैन विरुद्ध म०प्र०राज्य २००४ रा०नि० ३२९, A.I.R. १९६९ S.C. १२९७ तथा १९९८(१) M.P.W.N. २६ के न्याय दृष्टांत हैं कि संबत २००७ (सन् १९५०) से महिला सरवती वाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होकर १९६१ तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। आवेदिका भूमिस्वामी है। भूमि आवेदक के स्वत्व एंव आधिपत्य की मानी गई। यही स्थिति विचाराधीन प्रकरण की है क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा पंचशाला सन् १९८६-८७ लगायत १९८९-९० में निरन्तर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही है जिसके कारण आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड भूमिस्वामी हैं।

८/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदकगण मौके पर निरन्तर भूमि पर काविज होकर खेती करके अपने बच्चों का लालन-पालन करते आ रहे हैं। आवेदकगण ने

P/16

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

निगरानी प्रकरण क्रमांक 189-दो/2017 जिला शिवपुरी

कार्यवाही तथा आदेश

वाद विचारित भूमि उबड़-खाबड़ से समतल बनायी है जिसमें काफी मेहनत की गई है। यदि वर्ष 1986-87 से आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि उनसे वर्ष 2017 में (30 वर्ष वाद) हलका पठवारी द्वारा अपलेखन की त्रृटि को सत्य मानकर शासकीय अंकित रखी जाती है तब आवेदकगण को परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदक पिछड़े वर्ग की जाति के होकर कृषि श्रमिक है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. अगवानी वाई (श्रीमती) विरुद्ध म0प्र0राज्य तथा अन्य 2006 रा0नि0 229 के न्याय दृष्टांत अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भूमिस्वामी के नाम भूमि दर्ज है जो कि राज्य के अधिकार एंव स्वामित्व की भूमि नहीं है। खसरा प्रविष्टियों का खण्डन नहीं किया गया, उसके सही होने की अवधारणा की जायेगी।
2. मालती (श्रीमती) विरुद्ध देवीराम 1993 रा.नि. 165 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि खसरा प्रविष्टियां हैं उन्हें चुनौती नहीं दी गई, सही होने की उपधारणा की जायेगी।

वर्ष 1986-87 लगायत 1989-90 तक निरन्तर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है एंव मौके पर खेती हो रही है, वादग्रस्त भूमि का नवीन खसरा बनाते समय हलका पठवारी ने

1/1

-7-

निगरानी प्र०क० 189-दो/2017

बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये भूमि शासकीय दर्ज की है, जिसके कारण आवेदकगण को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझालना पड़ा है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित 8 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार पिछोर जिला शिवपुरी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बाचरोन तहसील पिछोर की भूमि भूमि सर्वे नंबर 771 बंदोवस्त के बाद नया सर्वे नंबर 2843 रकबा 1.62 हैक्टर में से रकबा 1.025 हैक्टर पर आवेदकगण क्रमांक 1 से 3 का नाम चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित करावें।



सदस्य